न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
282/2013	2013/615	24.09.2013	07.04.2022(प्रारम्भिक डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. गणपत पुत्र डूंगा (मृत्तक के बजाय)
   1/1 किशन पुत्र स्व0 गणपत
   1/2 भँवर पुत्र स्व0 गणपत
   1/3 प्रकाश पुत्र स्व0 गणपत
   समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नं. 3 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र रूड़ा
2. फूली देवी बेवा रूड़ी
   समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 03 कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
3. नारायण पुत्र घीसाराम (मृत्तक के बजाय)
   3/1 छोटी देवी पत्नी स्व0 नारायण आयु 80 वर्ष
   3/2 मोहन पुत्र स्व0 नारायण आयु 55 वर्ष
   3/3 हरिसिंह पुत्र स्व0 नारायण आयु 50 वर्ष
   समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 3 कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
4. भागीरथ पुत्र घीसाराम
5. नानूराम पुत्र घीसाराम
6. सुल्तान सिंह पुत्र हणमान
7. मूलचन्द पुत्र हणमान
8. तीजा देवी पत्नी गणपत
   समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 3 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
9. सुरेश कुमार पुत्र गोविन्द

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.01 17:40:38 IST
Reason: SelfAttested

27/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

10. सुभाष कुमार पुत्र गोविन्द
11. राजा देवी पत्नी गोविन्द
समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 03 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
12. हरफूल सिंह पुत्र धूड़ाराम
13. रामसिंह पुत्र धूड़मल
समस्त जाति जाट निवासीगण तन् ग्राम नीमकी हाल वार्ड नम्बर श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
14. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर
15. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री दिपक बाजिया, वादीगण अभिभाषक।
श्री कुमार गौरव खैरवा, एड0 प्रतिवादी नं. 1, 8, 12, 13 अभिभाषक
श्री नरेन्द्र शर्मा, एड0 प्रतिवादी नं. 3, 6, 9 से 11 अभिभाषक
श्री गिरीराज शर्मा, एड0 प्रतिवादी नं. 3 व 4 अभिभाषक
श्री रक्षपाल दास स्वामी, एड0 प्रतिवादी नं. 15 अभिभाषक
नायब तहसीलदार, श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 14 सरकारी पैरोकार

वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर))

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 496 रकबा 0.86 हैक्टर, 494 रकबा 0.09 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादी हिस्सा 1/4 का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 493 रकबा 0.73 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादी हिस्सा 1213/7300 व 1/4 का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 498 रकबा 0.10 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादी हिस्सा 1/4 का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 497 रकबा 0.05 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.01 17:40:38 IST
Reason: SelfAttested

07/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

गै0 मु0 चाह अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादी हिस्सा 3/8 का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 495 रकबा 0.42 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादी हिस्सा 45/200 व 1/4 का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 499, 500, 501 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 505/2 रकबा 0.76 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादी हिस्सा 550/7600 का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 503 रकबा 0.01 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादी हिस्सा 1/4 का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 2.20 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादी हिस्सा 79/220 का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 491 रकबा 0.04 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादी हिस्सा 1/4 का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है परन्तु मौके पर पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 ने बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा अलग–अलग काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अलग–अलग सींव डोल कायम कर रखी है। वादी बाहमी बंटवारा अनुसार अपनी हक हिस्सा व कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि पर मौके पर भूमि खसरा नम्बर 493 रकबा 0.73 हैक्टर में से रकबा 0.63 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 496 रकबा 0.86 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 494 रकबा 0.09 हैक्टर में से 0.06 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 495 रकबा 0.42 हैक्टर में से गै0मु0 शमशान की 0.02 हैक्टर भूमि छोड़कर बाकी [redacted]40 हैक्टर के 2/3 भाग पर काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिए वादी अपने हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का उपरोक्तानुसार लगान कायम करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त व हक हिस्सा की भूमि में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण को बाहमी बंटवारा अनुसार विधिक तकास्मा कराने हेतु कहा तो अर्सा 10 रोज पूर्व इन्कार हो गये। इसलिए बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वकील वादीगण ने पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिक तकास्मा मौके पर कब्जा काश्त व बाहमी बंटवारा अनुसार आई हुई कृषि भूमि तन् ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील व जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 493 रकबा 0.73 हैक्टर में से रकबा 0.63 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 496 रकबा 0.86 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 494 रकबा 0.09 हैक्टर में से 0.06 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 495 रकबा 0.42 हैक्टर में से गै0मु0 शमशान की 0.02 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.01 17:40:38 IST
Reason: Self Attested

07/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भूमि छोड़कर बाकी रकबा 0.40 हैक्टर के 2/3 भाग का व चाह खसरा नम्बर 497 के हिस्सा 3/8 का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने तथा वादी के हक हिस्से व बंटवारें में आई भूमियों से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किये जाने का निवेदन वकील वादीगण के द्वारा किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किये जाने हेतु वाद वास्ते तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1, 8, 12, 13 की ओर से श्री कुमार गौरव गौरवा, एड0, प्रतिवादी नं. 3, 6, 9 से 11 की ओर से श्री नरेन्द्र शर्मा, एड0, प्रतिवादी नं. 3 व 4 की ओर से श्री गिरीराज शर्मा, एड0, प्रतिवादी नं. 15 की ओर से श्री रक्षपाल दास स्वामी, एड0 उपस्थित आये। प्रतिवादी नं. 8 से 13 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण 3 ता 7 की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। प्रतिवादीगण नम्बर 3/1 से 3/3, 4 लगायत 7 के द्वारा दिनांक 03.02.2022 को उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादी सं. 15 की ओर से जवाब दावा पेश कर दावा तकास्मा का होने से प्रतिवादी सं. 15 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने बाबत पेश किया। वकील प्रतिवादी सं. 1 ने प्रकरण में जवाब दावा पेश नहीं कर सीधे ही प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी सं. 2 व 14 की सम्मन नोटिस तामिल हो जाने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण अभिभाषक ने निवेदन किया कि वकील प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमति व्यक्त कर दिये जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 3/1 से 3/3, 4 से 7 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादीगण सं. 8 ता 13 के द्वारा वादीगण के पक्ष में इकबालिया जवाब दावा पेश कर दिये जाने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही बहस सुने जाने का निवेदन किया।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार ... संम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण ... खातेदार काश्तकार है। इस आधार पर वादीगण राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 की धारा 53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में पक्षकारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.01 17:40:38 IST
Reason: SelfAttested

07/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने तथा अपने कब्जे काश्त अनुसार कृषि भूमियों का विधिक विभाजन अंतर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधिनियम– 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य सह खातेदारी में दर्ज कृषि भूमियों इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी बंटवारा अनुसार विधिक विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाने हेतु वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है एंव विभाजन आराजीयात को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 493 रकबा 0.73 हैक्टर में से रकबा 0.63 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 496 रकबा 0.86 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 494 रकबा 0.09 हैक्टर में से 0.06 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 495 रकबा 0.42 हैक्टर में से गै0मु0 शमशान की 0.02 हैक्टर भूमि छोड़कर बाकी रकबा 0.40 हैक्टर के 2/3 भाग का व चाह खसरा नम्बर 497 के हिस्सा 3/8 का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने तथा वादीगण के हक हिस्से व बंटवारें में आई भूमियों से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किये जाने तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी बंटवारें के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान् को उनकी हक हिस्सा, खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने व भिन्न बट्टा नम्बर डाला जाकर खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कराई जाकर अलग से लगान कायम किया जाकर नक्शे में अलग–अलग तरमीम किये जाने हेतु विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावें। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सुनवाई हेतु पक्षकारान् को नोटिस देकर सूचित करें। विभाजन प्रस्ताव राजस्थान भू–राजस्व (भूमि मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांकः राम/न्याया/ स्था/ प–51/ 2008/ विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया जावें। की इस हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.01 17:40:38 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

को देय फीस 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रूपये पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तीन–तीन प्रतियों में मय नजरी नक्शें के भिन्न–भिन्न रंगों में दर्शाते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। डिक्री इसी कदर जारी हो।

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.01 17:40:38 IST
Reason: SelfAttested